परियोजना प्रबन्धन इकाई
स्वजल उत्तराखण्ड
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्तराखण्ड
67/4–1, प्रीतम रोड, निकट गांधी शताब्दी नेत्र चिकित्सालय, डालनवाला, देहरादून

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

फोन : 0135- 2653380
वैब साईट: http://swajal.uk.gov.in
ई मेल : pmu_uttaranchal@rediffmail.com

नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल, देहरादून द्वारा निष्प्रयोज्य एक एम्बेस्डर वाहन जिसका ह्रासित मूल्य रू0 18563.00 है, की सार्वजनिक नीलामी "**जहॉ है जैसे है**" के आधार पर दिनांक 15 जुलाई, 2026 को मध्याह्न 12:00 बजे, 67/4 प्रीतम रोड, निकट गॉधी शतॉब्दी नेत्र चिकित्सालय, डालनवाला, देहरादून में की जानी है। **उक्त वाहन वर्तमान में प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली पटेलनगर थाने के यार्ड में रक्षित है।**

नीलाम किये जाने वाले वाहन का विवरण एवं नीलामी की शर्तें स्वजल की वेबसाईट– http://swajal.uk.gov.in अथवा कार्य दिवसों में प्रातः 10:00 बजे से सांय 5:00 बजे तक पी0एम0यू0, स्वजल के कार्यालय में देखी जा सकती है।

निदेशक

Digitally signed by
JHARANA KAMTHAN
Date: 24-06-2026
00:58:36

परियोजना प्रबन्धन इकाई
स्वजल परियोजना
(पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्तराखण्ड)
67/4 प्रीतम रोड, निकट राजकीय गाँधी शताब्दी नेत्र चिकित्सालय, डालनवाला, देहरादून–248001

फोन : 0135-2653380
PAN No-AACG60715B
वैब साईट: http://swajal.uk.gov.in
ई मेल : pmu_uttaranchal@rediffmail.com

पत्रांक– I/298193 / E-file No-156756/V-197(IV) /2025 दिनांक 24 जून, 2026

निष्प्रयोज्य एम्बेस्डर वाहन की नीलामी सम्बन्धी शर्तें

1. निष्प्रयोज्य एम्बेस्डर वाहन की नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति नीलामी की तिथि को अपनी दरों के साथ, जो कि सीलबन्द लिफाफें में दी जायेगी, दिनांक 15/07/2026 को पूर्वाह्न 11:00 बजे तक रु. 5000.00 (रुपये पाँच हज़ार मात्र) की धनराशि निदेशक, परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल, देहरादून के कार्यालय में धरोहर के रूप में नकद/बैंक ड्राफ्ट जमा कर नीलामी में सम्मिलित हो सकेगें, जो कि उसी दिन मध्याह्न 12:00 बजे खोली जायेगी।

नीलामी हेतु वाहन का विवरणः–

क0 सं0	वाहन संख्या	वाहन का प्रकार	वाहन का मॉडल	वाहन की पंजीयन तिथि	न्यूनतम नीलामी मूल्य रू0
1	UK07GA 0012	एम्बेस्डर (पेट्रोल) सफेद रंग	2008	11 मार्च, 2008	18563.00

2. नीलामी में अधिकतम बोलीदाता के द्वारा शत–प्रतिशत धनराशि नीलामी तिथि से 07 दिनों के अन्तर्गत समस्त करो सहित जमा करना अनिवार्य होगा तथा समस्त धनराशि जमा करने के पश्चात समस्त सामग्री उठानी होगी। निर्धारित समय तक धनराशि जमा न करने पर धरोहर के रुप में जमा धनराशि जब्त कर ली जोयगी।
3. नीलामी के उपरान्त सम्बन्धित बोलीदाता फर्म को नीलामी मूल्य पर नियमानुसार अनुमन्य Tax Collected at Source का भुगतान अतिरिक्त रूप से करना होगा।
4. विवाद उत्पन्न होने की दशा में निदेशक, स्वजल, देहरादून का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा, जिसे चुनौती नहीं दी जा सकेगी।
5. धरोहर धनराशि रहित बोलीदाता की बोली पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
6. नीलामी की तिथि से उच्च बोली दाता को परिवहन विभाग से सम्बन्धित कार्यवाही क्रेता की स्वयं की जिम्मेदारी होगी, जिसका प्रमाण पत्र भी इस कार्यालय में जमा करना होगा।
7. क्रय स्वामी (उच्च बोली दाता) को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि क्रय किये जाने के पश्चात वाहन का उपयोग परिवहन एक्ट के विपरीत और किसी भी अवैधानिक कार्यों में प्रयोग नहीं किया जायेगा। (**शपथ प्रपत्र 10 रू0 के स्टाम्प पेपर पर नोटराईज्ड होना चाहिए।**)
8. किसी भी नीलामी की बोली को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार निदेशक को होगा।

निदेशक, स्वजल

Digitally signed by
JHARANA KAMTHAN
Date: 24-06-2026
18:06:28